FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

अमीना बनाम मोहन

एक्ट 212 ~~372~~ मुकदमा नं. 37 सन् 2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/137

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
/2022	प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह सांखला विरुद्ध अप्रार्थी / अप्रार्थीगण पेश किया गया। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी / अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 / राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सवारों की कमी होने के कारण अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के नोटिस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाना चाहते हैं। चूंकि सवारों की कमी होने के कारण तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाना आवश्यक है। नोटिस की तलबी हेतु प्रार्थी के खर्च पर नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक वास्ते, प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावे। । अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/05/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)	275 3/6/22
25/05/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। बबूलाल उपस्थित। अप्रार्थी मैरूखां वगैरह की ओर से वकालतनामा श्री आबिद तेली ने पेश किया जो शामिल मि. हो। प्रतिवादी अधिवक्ता जवाब नहीं देना चाहते हैं एवं बहस करना चाहते हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी की भूमि में कब्जा करने के लिए उतारू है। भूमि में प्रार्थिया को गलत तरीके से वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से तरमीम का फायदा उठा कर अपनी भूमि की भूमि बेदखल करने एवं अपनी भूमि को बेचान करने को किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देते हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने भूमि एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री आबिद तेली ने निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त वाद के निस्तारण तक भूमि एवं रेकर्ड की यथा स्थिति भूमि पर नींव बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की। Contd. S.D.O.	प्रार्थी की ओर से JS मोहन

तारीख हुक्म

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

राजस्थान सरकार

हुक्म या कार्यवाही का हस्तलिखित प्रपत्र

3/7/2022

बहस वकील समाप्त की गई। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि पर मौके एवं रेकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि स्थित मौजा बिरातिया खुर्द पटवार हल्का बिरातिया खुर्द भू-अभिलेख की जमाबंदी संवत 2075-2078 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) के अनुसार के खाता संख्या 19 खसरा संख्या 1326/3 रकबा 1.6182 है. किस्म बारानी दोयम पर वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण किसी तरह की कोई रद्दोबदल नहीं करें, ना ही किसी भी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, गिरवी, बख्शीश, वसीयत दान आदि करे। ना ही विवादित भूमि का वाद के निस्तारण तक किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान नहीं करें। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में मौके एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। उक्त प्रार्थना पत्र वाद के साथ शामिल किया जावे। पत्रावली [illegible] हेतु [illegible] पेश हो।

S.D.O.